फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (पाली) जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- सुखाराम वगैरह **बनाम** अप्रार्थी :- नेमा वगैरह

किस्म मुकदमा-राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं 151 सी.पी.सी.

मु.नं. 7 /सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15/02/2022	वकील प्रार्थीगण/वादीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का पेश पेश कर निवेदन कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सुनवाई बाबत् दिनांक 19/08/2021 को नियत थी। लेकिन उस रोज वादीगण अधिवक्ता पड़ौस में गमी हो जाने के कारण माननीय न्यायालय में उपसंजात न हो सके। न्यायहित में उदार दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए वादीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार फरमावें। इस दौरान मुवक्किलान वादीगण को तारीख की पर्याप्त सूचना नहीं थी अतः वे भी अनुपसंजात थे। अतः अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार फरमावें। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली मय फहरिश्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी एवं सरकारी पैरोकार के जवाब दावे में नियत थी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नियत पेशी पर उपसंजात न होने के कारणों पर गौर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अनुपसंजाति के दिये गये कारण उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायालय अति-कठोर रूख न अपनाते हुए न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। उक्त आदेश की पालना में मूल पत्रावली को पुनः नये नम्बर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना-पत्र को मूल पत्रावली के साथ संलग्न/नत्थी किया जावे। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:48:02 IST
Reason: SelfAttested